राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

सं0सं0–रा0प0–04–49 / 2018

प्रेषक,

मुकेश प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर समाहर्त्ता
सभी अनुमंडल पदाधिकारी
सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सभी अंचलाधिकारी

पटना, दिनांकः–

विषयः– **विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित भूमि विवाद यथा न्यायालीय आदेश / डिक्री (Decree) जमाबंदी तथा लगान निर्धारण में पारदर्शिता लाये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अधिवक्ता श्री कमल किशोर प्रसाद द्वारा भूमि विवादो से संबंधित मामलो में गया जिला के डोभी रोड, ग्राम–बजोरा अंचल डोभी, जिला–गया में उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के जमाबंदी में वर्तमान कार्य प्रणाली पर बहुत आक्षेप लगाया गया है और राजस्व न्यायालयों के कार्य निष्पादन में पारदर्शिता नहीं बरते जाने का उल्लेख किया गया है। श्री प्रसाद से प्राप्त पत्र के आलोक में माननीय अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा राज्य के राजस्व न्यायालयों के वर्तमान कार्य प्रणाली पर असंतोष प्रकट करते हुये राजस्व न्यायालयों में पारदर्शिता लाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। माननीय अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा राज्य के प्रमंडलो में राजस्व न्यायालयों के लंबित बादो की प्रमंडलवार समीक्षा की गयी है। राजस्व न्यायालयों की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता एवं अंचल अधिकारी के न्यायालयों में लंबित बादो के निष्पादन में अनावश्यक बिलम्ब करते हुये शिथिलता बरती जा रही है जिसमें तीव्रता लाया जाना आवश्यक है। राजस्व न्यायालयों में मामलों का निष्पादन अधिक दिनों तक लंबित रहने के कारण भूमि विवाद के मामलों में वृद्धि होती है और सरकारी कार्यों के निष्पादन में पारदर्शिता नहीं रह पाती है।

राजस्व न्यायालयों के कार्य निष्पादन के संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत अवतरण निम्न प्रकार हैः–

Ss 33, 96 and 115 – Decree – Passed by Court of Competent Jurisdiction - It remains binding on the parties even if it is challenged in Appeal or Revision, unless it is stayed by Superior Court or is rendered ineffective or inoperative temporarily by Superior Court, subject to the final decision - It merges with the decree when the same attains finality.

(2006) 12 Sec 390-C

कृ0 पृ0 उ0

अतः अनुरोध है कि भूमि विवाद से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लंबित सभी वादों में निष्पादन में पारदर्शिता बरतते हुए यथाशीघ्र निष्पादन की कार्रवाई करते हुये अनुपालन प्रतिवेदन राजस्व पर्षद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–

संयुक्त सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– रा0प0–04–49/2018–२४९ पटना, दिनांकः–13.12.2018

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

शकील 13.12.18

c:\users\abc\desktop\new r.p._04-49 10122018 0100 pm.docx